

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchcharat Siksha Vibhag
(ICR Division)

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 07th April, 2025

NOTIFICATION

No.10-3/2025-U.3(A): Whereas, Homi Bhabha National Institute (Institution deemed to be University), Mumbai had uploaded its application on UGC Portal to start an off-campus Centre at Plot No. 1, Medicity, New Chandigarh, District – SAS Nagar (Mohali), Punjab as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

2. **And whereas**, UGC, vide its letter No. 30-6/2024 (CPP-I/DU) dated 02.01.2025, informed that the Chairman, UGC constituted a Standing Committee to examine the application. The Committee, after presentation of the Institution and based on the documents submitted, recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to Homi Bhabha National Institute, Mumbai with certain conditions.

3. **And whereas**, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 21.01.2025 to Homi Bhabha National Institute, Mumbai for fulfillment of the certain conditions within a period of 3 years before starting of off-campus at Plot No. 1, Medicity, New Chandigarh, District – SAS Nagar (Mohali), Punjab.

4. **And further whereas**, Vice Chancellor, Homi Bhabha National Institute, Mumbai, vide his letter dated 18.02.2025, submitted compliance report in respect of fulfillment of the conditions of the LoI. The same was forwarded to UGC for verification and further advice. UGC, vide letter No. F. 30-6/2024 (CCPP-I/DU) dated 18.03.2025, conveyed that the compliance report was accepted by the Standing Committee.

5. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Homi Bhabha National Institute, Mumbai to start an off-campus Centre at Plot No. 1, Medicity, New Chandigarh, District – SAS Nagar (Mohali), Punjab with condition that the students shall be admitted in the professional courses only after approval of relevant statutory councils.

6. Homi Bhabha National Institute, Mumbai shall abide by all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as provisions of the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time.

पुनरुदु कुशुरे बनुेरुके

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 3432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi - 110002

Copy forwarded to:

1. The Secretary, Department of Atomic Energy, OYC Building, C.S.M. Marg, Mumbai 400 001.
2. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
3. The Vice-Chancellor, Homi Bhabha National Institute, Mumbai.
4. The Secretary, Department of Higher Education, Government of Maharashtra, Mumbai.
5. The Secretary, Department of Higher Education, Government of Chandigarh.
6. The Secretary, National Medical Commission (NMC), Pocket- 14, Sector - 8, Dwarka Phase -1, New Delhi - 110077, INDIA
7. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
9. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
10. Guard file / Notification file.

कुशुरे रनुनु

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Government of India
Telephone No. 23381578

(भारत के राजपत्र भाग-I खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(आईसीआर प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 07 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

संख्या 10-3/2025-यू.3(ए): जबकि, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (सम विश्वविद्यालय संस्थान), मुंबई ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय, संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार प्लॉट नंबर 1, मेडिसिटी, न्यू चंडीगढ़, जिला- एसएस नगर (मोहाली), पंजाब में ऑफ-कैंपस सेंटर शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर अपना आवेदन अपलोड किया था।

2. **और जबकि**, यूजीसी ने दिनांक 02.01.2025 के अपने पत्र संख्या 30-6/2024 (सीपीपी-1/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि अध्यक्ष, यूजीसी ने आवेदन की जांच करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया। समिति ने संस्थान के प्रस्तुतीकरण के बाद और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर कतिपय शर्तों के साथ होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई को आशय (एल ओ आई) पत्र जारी करने की सिफारिश की।

3. **और जबकि**, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, प्लॉट नंबर 1, मेडिसिटी, न्यू चंडीगढ़, जिला - एसएस नगर (मोहाली), पंजाब में ऑफ-कैंपस शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई को दिनांक 21.01.2025 का आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

4. **और आगे**, जबकि कुलपति, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई ने दिनांक 18.02.2025 के अपने पत्र के माध्यम से, एलओआई की शर्तों को पूरा करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे सत्यापन और आगे की सलाह के लिए यूजीसी को अग्रेषित किया गया था। यूजीसी ने दिनांक 18.03.2025 के पत्र सं एफ. 30-6/2024 (सीपीपी-1/डीयू) के माध्यम से, सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट स्थायी समिति द्वारा स्वीकार कर ली गई थी।

5. **अब, इसलिए**, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई को प्लॉट नंबर 1, मेडिसिटी, न्यू चंडीगढ़, जिला-एसएस नगर (मोहाली), पंजाब में ऑफ-कैंपस सेंटर

शुरू करने के लिए इस शर्त के साथ अनुमोदन देता है कि विद्यार्थियों को प्रासंगिक सांविधिक परिषदों के अनुमोदन के बाद ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा।

6. होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई इस मंत्रालय की पूर्व की अधिसूचना (ओं) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।

पु. वि. ब. ज.

(पूर्णदु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 2338 3432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

प्रति अग्रेषितः

1. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, ओवाईसी बिल्डिंग, सीएसएम मार्ग, मुंबई 400 001.
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3. कुलपति, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई।
4. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई।
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ सरकार।
6. सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), पॉकेट- 14, सेक्टर - 8, द्वारका फेज -1, नई दिल्ली - 110077, भारत
7. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
8. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2
9. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस इकाई को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर अधिसूचना प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाए।
10. गार्ड फ़ाइल/अधिसूचना फ़ाइल।

रंजन

(ज्योति रंजन)

अवर सचिव भारत सरकार
टेलीफोन नंबर 23381578